बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र010/र0वि0अधि0–07/2019– 1777 खाद्य, पटना/दिनांक– 24.4.2020

प्रेषक,

दयानन्द मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2020–21 हेतु निर्गत कार्ययोजना/मार्ग निर्देश की कंडिका–2 (बिन्दू क्रमांक–05) के संशोधन के संबंध में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1693 दिनांक 20.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय पत्रांक–1693 दिनांक 20.04.2020 द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2020–21 में राज्य के किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित कार्ययोजना/मार्गनिर्देश की कंडिका–2 (बिन्दू क्रमांक–05) में उल्लिखित है कि ''रब्बी विपणन मौसम 2020–21 में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिनके द्वारा विगत अधिप्राप्ति कार्यों में अनियमितता बरती गयी है तथा जिन्हें जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है, को गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा''। संगत कंडिका में सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों से अधिक से अधिक गेहूँ अधिप्राप्ति किये जाने हेतु सभी क्रय केन्द्रों को क्रियाशील किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1658 दिनांक 19.04.2020 निर्गत है। अतः उपर्युक्त निर्गत आदेश के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्र संख्या 1693 दिनांक 20.04.2020 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश की कंडिका–2 (बिन्दु क्रमांक–05) को निम्नवत् प्रतिस्थापित/संशोधित किया जाता है :–

''रब्बी विपणन मौसम 2020–21 में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिनके द्वारा जन वितरण प्रणाली का कार्य संचालित किया जा रहा है, उनके द्वारा तत्कालिक व्यवस्था के तहत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के समाप्ति तक प्राथमिकता के आधार पर सिर्फ गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य संचालित किया जायेगा एवं अधिप्राप्ति कार्य अवधि पूर्ण होने के पश्चात् जिला पदाधिकारी के सहमति के उपरांत पैक्स/व्यापार मंडल पुनः जन वितरण प्रणाली दुकान संचालित कर सकेंगे''।

अतः विभागीय पत्र संख्या 1693 दिनांक 20.04.2020 द्वारा निर्गत कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश की कंडिका–2 (बिन्दु क्रमांक–05) को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
24/4/2020
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–07/2019– 1777 खाद्य, पटना/दिनांक– 24.4.2020
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/4/2020
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–07/2019– 1777 खाद्य, पटना/दिनांक– 24.4.2020
प्रतिलिपि – सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2020
सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\backup\Year_2018(Sec_10)\2018 (M)\vividh.doc

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–07/2019– 1777 खाद्य, पटना/दिनांक– 24.4.2020
प्रतिलिपि – सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–07/2019– 1777 खाद्य, पटना/दिनांक– 24.4.2020
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–07/2019– 1777 खाद्य, पटना/दिनांक– 24.4.2020
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव तथा माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।